राजस्थान सरकार

आयोजना विभाग

क्रमॉकः–प. 13/1/38/वीएस/डीईएस/2012/29617 जयपुर, दिनॉकः– 06-11-2012

परिपत्र

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) और तत्सम्बन्धी राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम,2000 के नियम 9(3) के तहत एक वर्ष से अधिक विलम्बित जन्म या मृत्यु की घटनाओं की शुद्धता का सत्यापन करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत करने के आदेश देने के लिये कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 के द्वारा अधिकृत किया गया है। विभिन्न प्रकार के जारी होने वाले प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में आ रही कठिनाईयों एवं उनके सरलीकरण के लिये अध्यक्ष, राजस्व मण्डल राजस्थान की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता में दिनॉक 5.07.2012 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयानुसार जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अपने जिले में तहसीलदार के पास कार्यभार अधिक होने की स्थिति में सम्बन्धित क्षेत्र के किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3)एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम,2000 के नियम 9(3) के तहत विलम्बित पंजीयन के आदेश देने हेतु अधिकृत कर सकेगें।

(राकेश वर्मा)

प्रमुख शासन सचिव

क्रमॉकः–प. 13/1/38/वीएस/डीईएस/2012/29618-83 जयपुर, दिनॉकः– 06-11-2012

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ।
2. समस्त जिला सांख्यिकी अधिकारी एवं जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) ।

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)एवं निदेशक

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,जयपुर।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3)व तत्अधीन बने राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 9(3)के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट से आदेश जारी कराने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

शपथ ग्रहता/ग्रहिता की हस्ताक्षरयुक्त नोटेरी प्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो।

(एक वर्ष बाद जन्म की सूचना देने पर)

शपथ पत्र (जन्म)

मैं (आवेदक का नाम)..पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....वर्तमान आयु .... निवासी (वर्तमान पूर्ण पता)..(लड़का/लड़की से सम्बन्ध लिखें) ....शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि :–

1. यह कि श्रीमती (माता का नाम)..ने एक जीवित लड़का/लड़की जिसका नाम .... लिंग ....जन्म तिथि ....जन्म स्थान का पूर्ण पता ....जन्म स्थान का वार्ड नं. ....पिता का नाम ....बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता ....माता–पिता का स्थाई पता ....को .... शहर/गॉव में जन्म दिया है।
2. यह कि लड़का/लड़की के आवश्यकतानुसार नाम व जन्म दिनांक के दस्तावेज और माता–पिता व मेरे नाम व पते के दस्तावेज संलग्न कर रहा/रही हूँ।
3. यह कि शपथ पत्र पर मेरी वर्तमान फोटो चस्पा कर दी गई है।
4. इस बच्चे का जन्म अस्पताल में नहीं हुआ था मेरे घर पर ही हुआ था।
5. यह कि उक्त जन्म का पंजीयन आज दिनांक ....से पहले किसी के भी द्वारा एवं मैनें कहीं भी किसी भी रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार के पास दर्ज नहीं करवाया है और जन्म का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है ना ही भविष्य में कहीं दर्ज करवाऊँगा/करवाऊँगी।

अंगूठा निशान /हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त .... शपथ ग्रहता/ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि शपथ पत्र में अंकित सभी तथ्य सही व सत्य हैं। मेरे द्वारा दिये गये शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की असत्यता नहीं है। अगर भविष्य में असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वंय जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। ईश्वर साक्षी है।

अंगूठा निशान /हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

आदेश पत्र

उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के विवरण एवं दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त हल्फनामा मेरे समक्ष लिया गया है । जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) एवं राजस्थान जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 9(3) के अन्तर्गत घटना की शुद्धता का सत्यापन कर स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु को यह आदेशित किया जाता है कि उक्त जन्म के विहित विलम्ब शुल्क रूपये 1/– लेकर रजिस्ट्रार / उप रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज कर लिया जावें।

मेरे हस्ताक्षर व मोहर से आज दिनांक ....को जारी किया गया।

हस्ताक्षर कार्यपालक मजिस्ट्रेट मय मोहर

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3)व तत्अधीन बने राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 9(3)के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट से आदेश जारी कराने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

(एक वर्ष बाद मृत्यु की सूचना देने पर)

शपथ पत्र (मृत्यु)

शपथ ग्रहता/ग्रहिता की हस्ताक्षरयुक्त नोटेरी प्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो।

मैं (आवेदक का नाम)..पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....वर्तमान आयु .... निवासी (वर्तमान पूर्ण पता)..(मृतक से सम्बन्ध लिखें) ....शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि :–

1. यह कि मृतक का नाम ....मतृक का लिंग ....मृत्यु दिनांक .... मृत्यु क के स्थान का पूर्ण पता ....मृत्यु स्थान का वार्ड नं. ....मृतक की माता का नाम .... (मृतक के पिता/पति का नाम) ....मृतक का मृत्यु के समय का पता ....मृतक का स्थायी पता ....की मृत्यु ....शहर/गांव में हो गई है।
2. यह कि मृतक व मृतक के माता व पिता एवं मेरे नाम व पते के दस्तावेज संलग्न कर रहा/रही हूँ।
3. यह कि शपथ पत्र पर मेरी वर्तमान फोटो चस्पा कर दी गई है।
4. यह कि उक्त मृत्यु का पंजीयन आज दिनांक ....से पहले किसी के भी द्वारा एवं मैनें कहीं भी किसी भी रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार के पास दर्ज नहीं करवाया है और मृत्यु का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है ना ही भविष्य में कहीं दर्ज करवाऊँगा/करवाऊँगी।

अंगूठा निशान /हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त .... शपथ ग्रहता/ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि शपथ पत्र में अंकित सभी तथ्य सही व सत्य हैं। मेरे द्वारा दिये गये शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की असत्यता नहीं है। अगर भविष्य में असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वंय जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। ईश्वर साक्षी है।

अंगूठा निशान/हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

आदेश पत्र

उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के विवरण एवं दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त हल्फनामा मेरे समक्ष लिया गया है । जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) एवं राजस्थान जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 9(3) के अन्तर्गत घटना की शुद्धता का सत्यापन कर स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु को यह आदेशित किया जाता है कि उक्त मृत्यु के विहित विलम्ब शुल्क रूपये 1/– लेकर रजिस्ट्रार / उप रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज कर लिया जावें।

मेरे हस्ताक्षर व मोहर से आज दिनांक ....को जारी किया गया।

हस्ताक्षर कार्यपालक मजिस्ट्रेट मय मोहर